☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औधोगिक क्षेत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/1103-1104 दिनांक : 15/6/2017

निविदा सूचना सं. 01/2017–18

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा में सुरक्षाकर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन/बिना मशीन तथा वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन, वायु नमूनों संग्रहण इत्यादि कार्य हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) के लिए अनुबन्ध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी फर्मो/पंजीकृत संस्थाओं से मुहरबन्द निविदायें निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	अमानत राशि
1.	3 सुरक्षा कर्मी	रू. 300/–	रू. 6000/–
2.	2 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन/बिना मशीन	रू. 300/–	रू. 4000/–
3.	6 क्षैत्र सहायक (Field Assistant)	रू. 300/–	रू. 6000/–
4.	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रू. 100/–	रू. 4000/–

उपरोक्त चारों कार्यो की निविदायें दिनांक 16/06/2017 से 30/06/2017 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 से सायं: 05:00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 03/07/2017 तक दोपहर 12:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 03.07.2017 को दोपहर 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते विभागीय वेबसाईट http:/www./rpcb.rajasthan.gov.in/ पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किए जा सकते है। डाउनलोड फार्म उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक निविदा के साथ संलग्न करना होगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी। अमानत राशि के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ही स्वीकार किये जायेगें, जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय कोटा (Payable at Kota) के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा प्राप्त एवं खोली जायेगी।

(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपीः–The ACP, RSPCB, Jaipur, with request to order to upload the tender notice/tender from on the Board`s Website.

(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–107 / 2017–18 / दिनांक :

प्रबोधन केन्द्र–(Monitoring Station) हेतु क्षैत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम / फर्म का नाम ....
2. डाक का पूरा पता ....
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम .... पदनाम........................एवं प्रमाणित हस्ताक्षर..
4. निविदादाता का दूरभाष संख्या / लेण्डलाईन नं......................मो. नं......................................
5. ई–मेल पता..
6. निविदा संख्या.......................................दिनांक..
7. निविदा शुल्क..रूपये रसीद संख्या / डी.डी. / बैंकर चैक क्रमांक
8. अमानत राशि रूपये...डी.डी. / बैंकर चैक संख्या...............
9. ठेका राशि एक वर्ष के लिये–राशि (अंको में)..
10. मै. / हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना क्रमांक दिनांक...................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ / करते हैं एवं जिनके स्वीकार किये जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
11. उपर उद्वत की गई दरें निविदा खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यदेश जारी करने पर कार्यदेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
12. निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) निविदादाता का G.S.T. / सेवाकर रजिस्ट्रेशन निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ठेकेदार फर्म के पते के प्रमाण में राशनकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति / फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.......................................

....

पताः..

....

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–107 / 2017–18 /   दिनांक :

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरणः–

<u>कोटा शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station)वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित हैः–</u>

क्र. सं.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) का नाम	क्षैत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहां नमूने जमा कराने हैं
1.	क्षैत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.म. परिसर, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेड़ा, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
3.	नगर निगम कार्यालय, बिल्डिंग, रामपुरा, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
4.	राजस्थान तकनीकी विश्वविघालय, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
5.	एस.टी.पी. बालिता (श्री गिरिर्राज प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीटीयूट बालिता), कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा
6.	अग्निशमन केन्द्र श्रीनाथपुरम, कोटा	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा

निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर "प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षैत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्लाट नं–2 ए, रोड नं. 6 इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षेत्र, कोटा को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक / साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

1. परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र पर तकनीकी सहायक / कर्मी से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्यः–

   अ. कार्य का विवरणः–राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कोटा स्थित छः (06) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन (Operation of Respirable Dust Sampler एवं $PM_{2.5}$ Sampler) सुरक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety and Security) वायु नमूनो का संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं सम्बन्धित आंकडो (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet)) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला कोटा को शीघ्रता शीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना। परियोजना अन्तर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनों की संख्या में कमी वृद्वि की जा सकती है।

   ब. निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–107 / 2017–18 / दिनांक :

स. प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घन्टे चलाया जायेगा।

द. वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घण्टे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम., 2:00 पी.एम. से 10:00 पी.एम. एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक तकनीकी सहायक (Technical Assistant) / कर्मी नियुक्त किया जायेगा।

2. आपात स्थिति एवं प्रत्येक दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
3. तकनीकी सहायक (Technical Assistant) / कर्मी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
4. शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring) निर्धारित स्थानों पर संचालित स्टेशन (Air Quality Monitoring) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार / संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार / संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्तेः–

1. निविदादाता को कोटा शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. ठेकेदार / फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में तकनीकी कर्मचारी आपूर्ति करने का न्यूनतम दो वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव का प्रमाण–पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. ठेकेदार को अमानत राशि के रूप में रूपये 6,000 / – बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम हो तथा ये कोटा में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. ठेकेदार को नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेक की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशि के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnets Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnets Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना–पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी। अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि संविदा के किन्हीं उपबंधों या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (पेनल्टी) लगाने का अधिकार होगा ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी मनी) में से वसूल की जावेगी।
5. क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

6. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दास्तावेजो में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कोटा को होगा।
7. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है । विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
8. निविदा के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करने होंगे।
9. मुहरबन्द निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि (Earnest Money) एवं अन्य दस्तावेजो को दिनांक 03/07/2017 को दोपहर 12:00 बजे तक क्षेत्रीय अधिकारी महोदय कक्ष में पहुंच जाने चाहिए। प्राप्त निविदायें उक्त तिथि को ही मध्यान्ह पश्चात् 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
10. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
11. परिवेशीय वायु प्रबोधन (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Quality Monitoring) आंकडा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित क्षेत्रीय प्रयोगशाला को परिवहन के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जानें की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर बढ़ाया जा सकता है।
12. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work)/सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment Supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत (Servicing and Repairing) सर्विस आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन के रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आकडा प्रतिवदेन आंकडा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
13. ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स/GST रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।
14. कार्यो के विवरण में दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
15. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तदायित्व ठेकेदार का होगा।
16. ठेकेदार प्रतिमाह वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

17. ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षैत्रीय अधिकारी, कोटा का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्ते–

1. ठेकेदार/संस्था को तकनीकी श्रमिक सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों में उपलब्ध कराने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है जिसके प्रमाण के लिये वह आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
2. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
3. इस निविदा के तहत कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था निर्धारित योग्यताधारी श्रमिकों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों/श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंसा पर ही उसके कर्मियों के मण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/परिचय–पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) मण्डल कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।
5. मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
6. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षैत्र सहायको की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
7. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी, सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
8. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पत्ति स्टेशन पर स्थापित उपकरण विभिन्न रसायनों अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी।
9. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
10. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
11. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) और सेवाकर/GST आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
12. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
13. ठेकेदार/संस्था नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक एवं औघोगिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

14. यदि अनुबन्ध से संबंधित कार्यो के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तो/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
15. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल का होगा।
16. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों /RTPP, Rules की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।
17. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व में ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायलय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकारण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
18. यह कि मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेंगी।
19. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
20. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षैत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटा का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
21. ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आंकडा प्रतिवेदन (Collected Sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।
22. शास्ति (Penalty)
    1. ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकडा प्रतिवेदन एवं नमूनों को क्षैत्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
    2. ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
    3. लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

23. किसी भी प्रकार से न्यायिक विवाद का क्षैत्राधिकार कोटा होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नामः मैसर्स ....

पताः ....

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–107 / 2017–18 / दिनांक :

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन / बिना मशीन) की सेवायें किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा

1. निविदादाता / फर्म का नाम व पताः ....
   (मय दूरभाष / मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल) ....
   पते (यदि हो) सहित ....
2. निविदादाता / फर्म का श्रम विभाग ....
   में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक ....
3. निविदादाता / फर्म का सेवाकर पंजीयन ....
   क्रमांक एवं दिनांक
4. टेण्डर प्रपत्र देने का पता — राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा
5. संदर्भः– निविदा सूचना..........दिनांक..........
   जमा कराने की तिथि अपरान्ह बजे तक
   खोलने की तिथि अपरान्ह बजे तक
6. निविदा शुल्क का विवरण– राशि रूपये 300 / –
   नकद रसीद संख्या..........दिनांक..........
   डी.डी. नं..........दिनांक..........
   बैंकर्स चैक..........दिनांक..........
7. अमानत राशि के बैंकर्स ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक बैंक का नाम..........
   जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कोटा के पक्ष में देय हो का विवरण
   राशि रू.
   ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक सं..........दिनांक..........
   बैंक का नाम..........
8. निविदा के लिये मासिक प्रस्तावित दर
   प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) (अंको में)..........
   (शब्दो में)..........

नोटः–1. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के किराये की राशि रूपये 8500 / – प्रतिमाह (सभी कर सहित) से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी। As Per Finanace Deptt. Circular F9(1) FD-1 (1) Bud 2012 Dt 01.07.2015

2. निविदा की प्रस्तावित दर अंको व शब्दों में समान होनी चाहिये। अंको व शब्दों में अन्तर होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। दर में किसी भी प्रकार की कोई कांट छांट / ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये, यदि कांट छांट हो गई हो तो उसे निविदादाता द्वार पूर्ण हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे।

9. निविदादाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र – निविदा आवेदनकर्ता अपनी फर्म / ऐजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीटयूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।
10. मैंने / हमनें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया हैं हमें सभी मान्य होने बाबत् भार्तो पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता

☏: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तें:–

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लेना चाहिये एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिये। निविदाताता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावें। किसी भरी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में क्षैत्रीय अधिकारी ही अंतिम व मान्य होगा।

1. निविदा प्रपत्र क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी। यह निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफापे पर "संविदा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की निविदा" अंकित कर उसे क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा को सम्बोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्ति इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षैत्रीय कार्यालय में पहुंच जावें।
3. निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अमानत राशि के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैंक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैक, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायतशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय किया जा सकेगा।
7. यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाऐं प्रस्तुत कर सकती हैं जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग अर्थात दोनो विभागों में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियां निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण–पत्रों के आवदेन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. का पंजीयन भी नियमानुसार होना आवश्यक है।
8. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरणः–
9. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की संख्याः–2

   कर्मी की योग्यताः–

   1. कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।
   2. कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।
10. मशीनों को विवरणः–निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक हैं।

(i) Computer- Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250GB or more 15" Monitor/TFT or bigger 10/1001000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical mouse, Standard serial,

☏: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

(ii) Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Do Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(iii) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

11. निविदादाता ऐजेन्सी का सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।
12. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
13. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9:30 बजे से साय: 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
14. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनो के अन्दर अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम व पता मय फोटा तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।
15. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र 1:9 (1) FD-1(1)Bud2004 Dated 28.07.2008 के अनुरूप होगी
16. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षैत्र, कोटा होगा।
17. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार की कानूनी पहल अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/ऐजेन्सी ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षैत्रीय अधिकारी को होगा।
19. ठेकेदार को नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशी के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी । अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड (Penalty) का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....................................

....

पता...

....

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–107 / 2017–18 / दिनांक :

निविदा–प्रपत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षैत्रीय कार्यालय, कोटा में सुरक्षाकर्मी हेतु निविदा प्रपत्र

फर्मो / संस्थाओं / निविदादाता का नाम	
स्थाई पता	
वर्तमान पता	
निविदा शुल्क	
अमानत राशि जमा का विवरण	
सुरक्षाकर्मियों की दरें	
सर्विस टेक्स, पंजीयन लाईसेन्स, आयकर शोधन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न हैं	

निविदा के नियम एवं शर्तो का अध्ययन हमारे द्वारा कर लिया गया है तथा हमें क्षैत्रीय कार्यालय रा.प्र.नि.म. कोटा की समस्त शर्तो स्वीकार है हमारे द्वारा किया गया उपरोक्त कथन सही एवं सत्य है कोई कथन असत्य अथवा अप्रासंगिक पाये जाने पर हमारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षैत्रीय कार्यालय कोटा में सुरक्षाकर्मी हेतु नियम एवं शर्तेः–

1.निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफापे में बन्द करना होगा। लिफापे पर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा" प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारिध तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुॅच जावे।

2. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

4. दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होना चाहिये यदि कोई शुद्वियां कही हो तो स्पष्ट रूप से लिखनी होगी एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर करने होंगे।

5. निविदा फर्म के साथ अमानत राशि रू.................की प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यह राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल देय कोटा के पक्ष में शिड्यू बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी।

6. अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को अमानत राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद लौटाई जायेगी।

7.अमानत राशि का समपहरणः अमानत राशि को निम्नलिखित मामालें में समपहत कर लिया जायेगा।

जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

8. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।

9.विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।

10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

11. सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।

12. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा जुर्माना देय होगा।

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–107 / 2017–18 / दिनांक :

13. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी। जिसमें सुरक्षाकर्मी को प्रोविडेन्ट फण्ड एवं राज्य बीमा कानून आदि लागू होगें।

14. सुरक्षाकर्मी को निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेंच लगाना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी को वंर्दी, टार्च, सीटी एवं डंडा (4 फिट) का निविदादाता स्वयं को उपलब्ध करायेगा अन्यथ प्रतिदिन रू. 50 / – प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।

15. सुरक्षाकर्मी का बीमा निविदादाता द्वारा एक वर्ष का कराना अनिवार्य होगा एवं अवधि समाप्त होने पर तुरन्त नवीनीकरण का उत्तरदायित्व निविदादाता को होगा। यदि किसी न्यायालय, अधिकरण मण्डल द्वारा पारित अवार्ड की पालना में यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व मण्डल पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।

16. निविदादाता के सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

17. सुरक्षाकर्मी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।

18. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना, अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।

19. सुरक्षाकर्मी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पडेगा।

20. कोई भी सुरक्षाकर्मी दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज संभालाने के बाद ही ड्यूटी से ऑफ होगा।

21. यदि किसी कारणवश कोई सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर नहीं आ सके तो उसके एवज में दूसरा सुरक्षाकर्मी निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा।

22. उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की कार्य कुशलता, सजगता, व्यवहार एवं अच्छे आचरण बाबत किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण–पत्र निविदादाता द्वारा प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटा को प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कर्मियों को कार्यालय अनुशासन का पूर्ण पालन करना होगा।

23. निविदादाता को श्रम नियमों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

24. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी स्टॉफ कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।

25. सुरक्षाकर्मी जहां भी नियुक्त हो वहां पर रखे राजिस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।

26. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थित व बिल विभाग के अधिकारी / प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।

27. यदि केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई कर लगाया जाता है तो उसकी अदाय निविदादाता को ही करनी होगी।

28.सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी को न्यूनतम भुगतान की रसीद की छाया प्रति हर माह मण्डल में प्रस्तुत करनी होगी।

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–107 / 2017–18 /   दिनांक :

29.किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम कोटा का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
30.सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, कोटा न्यायालय ही रहेगा।
31. सर्विस टेक्स नियमानुसार जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।
32. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
33. दर निरन्तर 24 घंटे सुरक्षा व्यवसथा प्रतिमाह की दी जावे जिससे रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होंगे।
34. सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित पाये जाने पर देय भुगतान मय क्षतिपूर्ति निविदादाता के मासिक बिल से काट लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जावेगा।
35. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
36. निविदादाता द्वारा इस कार्यालय को नियमित रूप से मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षाकर्मियों को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा।
37. किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
38. निविदादाता को सुरक्षा गार्ड सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र / लाईसेन्स एवं सेवाकर / आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
39. निविदा अवधि घटाने व बढाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
40. सुरक्षाकर्मी घटाने बढाने का अधिकार अधोहस्तारक्षकर्ता का होगा।
41. राज्य सरकार द्वारा सुरक्षाकर्मी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशो / नियम निविदाता को मान्य होगे।
42. ठेकेदार को नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशी के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी । अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड (Penalty) का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स ....

....

पता ....

....

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षेत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

निविदा–प्रपत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षैत्रीय कार्यालय, कोटा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु निविदा प्रपत्र

फर्मो/संस्थाओं/निविदादाता का नाम	
स्थाई पता	
वर्तमान पता	
निविदा शुल्क	
अमानत राशि जमा का विवरण	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दरें	
सर्विस टेक्स, पंजीयन लाईसेन्स, आयकर शोधन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न हैं	

निविदा के नियम एवं शर्तो का अध्ययन हमारे द्वारा कर लिया गया है तथा हमें क्षैत्रीय कार्यालय रा.प्र.नि.म. कोटा की समस्त शर्तो स्वीकार है हमारे द्वारा किया गया उपरोक्त कथन सही एवं सत्य है कोई कथन असत्य अथवा अप्रासंगिक पाये जाने पर हमारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षैत्रीय कार्यालय कोटा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु नियम एवं शर्तेः–

1.निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफापे में बन्द करना होगा। लिफापे पर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा" प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारिध तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुॅच जावे।

2. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

4. दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होना चाहिये यदि कोई शुद्वियां कही हो तो स्पष्ट रूप से लिखनी होगी एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर करने होंगे।

5. निविदा फर्म के साथ अमानत राशि रू.................की प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यह राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल देय कोटा के पक्ष में शिड्यू बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी।

6. अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को अमानत राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद लौटाई जायेगी।

7.अमानत राशि का समपहरणः अमानत राशि को निम्नलिखित मामालें में समपहत कर लिया जायेगा।

जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

8. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।

9.विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।

10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

11. सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।

12. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा जुर्माना देय होगा।

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

13. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी। जिसमें सुरक्षाकर्मी को प्रोविडेन्ट फण्ड एवं राज्य बीमा कानून आदि लागू होगें।
14. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बीमा निविदादाता द्वारा एक वर्ष का कराना अनिवार्य होगा एवं अवधि समाप्त होने पर तुरन्त नवीनीकरण का उत्तरदायित्व निविदादाता को होगा। यदि किसी न्यायालय, अधिकरण मण्डल द्वारा पारित अवार्ड की पालना में यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व मण्डल पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
16. निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
17. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
18. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना, अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
19. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पडेगा।
20. कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज संभालाने के बाद ही ड्यूटी से ऑफ होगा।
21. यदि किसी कारणवश कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ सके तो उसके एवज में दूसरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा।
22. उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कार्य कुशलता, सजगता, व्यवहार एवं अच्छे आचरण बाबत किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण–पत्र निविदादाता द्वारा प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटा को प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कर्मियों को कार्यालय अनुशासन का पूर्ण पालन करना होगा।
23. निविदादाता को श्रम नियमों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
24. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी स्टॉफ कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
25. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जहां भी नियुक्त हो वहां पर रखे राजिस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।
26. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थित व बिल विभाग के अधिकारी/प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।
27. यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई कर लगाया जाता है तो उसकी अदाय निविदादाता को ही करनी होगी।
28.सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम भुगतान की रसीद की छाया प्रति हर माह मण्डल में प्रस्तुत करनी होगी।
29.किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम कोटा का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
30.सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, कोटा न्यायालय ही रहेगा।
31. सर्विस टेक्स नियमानुसार जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।

☎: 0744–2490873
क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–107/2017–18/ दिनांक :

32. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
33. दर निरन्तर 24 घंटे सुरक्षा व्यवसथा प्रतिमाह की दी जावे जिससे रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होंगे।
34. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित पाये जाने पर देय भुगतान मय क्षतिपूर्ति निविदादाता के मासिक बिल से काट लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जावेगा।
35. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
36. निविदादाता द्वारा इस कार्यालय को नियमित रूप से मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा।
37. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
38. निविदादाता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
39. निविदा अवधि घटाने व बढाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
40. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घटाने बढाने का अधिकार अधोहस्तारक्षकर्ता का होगा।
41. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशो/नियम निविदाता को मान्य होगे।
42.ठेकेदार को नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशी के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी । अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड (Penalty) का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम मैसर्स ....
....
पता ....
....